विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग 'क' में राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मलित किया गया है तथा भाग 'ख' में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मलित किया गया है।

भाग 'क'
राजस्व क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, यात्री एवं माल कर तथा वन प्राप्तियों के अनुदग्रहण/अल्प उदग्रहण से सम्बन्धित ₹ 173.63 करोड़ के राजस्व निहितार्थ 23 परिच्छेदों को सम्मलित हैं।

सामान्य

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के ₹ 27,367.06 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 30,950.28 करोड़ रही। इनमें से 34 *प्रतिशत* राज्य द्वारा कर राजस्व (₹ 7,575.61 करोड़) एवं कर भिन्न राजस्व (₹ 2,830.04 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई, अवधि जबकि 66 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 5,426.97 करोड़) एवं सहायता अनुदानों (₹ 15,117.66 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की गई।

(परिच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2018-19, के दौरान, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, यात्री एवं माल कर तथा वन प्राप्तियों की 166 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में अव-निर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व की हानि, उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क के अल्पोद्ग्रहण, टोकन कर, विशेष कर एवं रॉयल्टी इत्यादी की अल्प वसूली के 1168 मामलों में समग्र ₹ 297.10 करोड़ उजागर हुए। सम्बन्धित विभागों ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ के लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 3.92 करोड़ के 188 मामले पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे। विभाग ने 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली की, जिसमें 188 मामलों के ₹ 2.69 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.9)

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का उचित वर्गीकरण करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता, कर की रियायती दर की अनुचित अनुमति में परिणत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहणयोग्य था।

(परिच्छेद 2.3)

निर्धारण प्राधिकारी ने 19 मामलों में फार्म-I के बिना अथवा अनुचित फार्म-I कर की रियायती दर अनुमत की जो ₹ 3.87 करोड़ के कर के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 4.03 करोड़ के ब्याज को उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों ने दोषपूर्ण/ अमान्य फार्म स्वीकृत किए तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर अनुमत की, जो ₹ 1.43 करोड़ के कर के अल्पोदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.79 करोड़ का ब्याज की उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था।

(परिच्छेद 2.5)

राज्य आबकारी

निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 लाइसेंसधारियों से ₹ 82.32 करोड़ की कम जमा/लाइसेंस फीस की वसूली हेतु लाइसेंस की पुनर्बिक्री के लिए न तो बिक्री केन्द्र सील किए, न ही परमिट रद्द/निलंबित करने हेतु कोई कार्रवाई की।

(परिच्छेद 2.12)

निर्धारण प्राधिकारियों ने त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की प्रास्थिति की समीक्षा नहीं की, जो 1130 बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों द्वारा 62,87,807 प्रूफ लीटर कम शराब उठाने पर ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस के अनुदग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त कम कोटा उठाने पर ₹ 2.48 करोड़ की शास्ति उदग्रहित की जानी भी अपेक्षित थे।

(परिच्छेद 2.13)

लाइसेंस फीस/ बॉटलिंग शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ₹ 3.75 करोड़ राशि के ब्याज की 134 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से विभाग द्वारा मांग न करने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का अनुदग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.16)

स्टाम्प शुल्क

713 बिक्री नामे मामलों में, उप-पंजीयकों ने विलेख (नामे) पंजीकृत करने के पूर्व पुनरीक्षित दरों के संदर्भ में सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य पर विचार नहीं किया, भूमि की सर्किल दरों को सत्यापित नहीं किया एवं सड़क से भूमि की दूरी के शपथ-पत्रों की प्रति-जांच नहीं की। 96 पट्टे नामें मामलों में, उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य पर विचार नहीं किया तथा एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई। परिणामत: राज्य को ₹ 10.53 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरक्त, पंजीयन हेतु प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सिस्टम *हिमरिस* सुदृढ़ नहीं था चूंकि इसमें अभिग्रहण (केप्चरिंग), वैधता तथा डाटा सुरक्षा से संदर्भित कई प्रवाह थे। सॉफ्टवेयर अन्य डिजिटल भू-राजस्व एप्लिकेशनों से भी परस्पर जुड़ा नहीं था। हिमरिस बिना किसी केन्द्रीकृत सर्वर के उप-पंजीयकों में स्वचलित सिस्टमों में चल रहा था।

(परिच्छेद 2.17)

विभाग द्वारा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ तक के पट्टे किराए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 2.18)

वाहन, यात्री व माल पर कर

वर्ष 2015-18 हेतु 21,107 वाहनों के संदर्भ में ₹ 7.72 करोड़ के टोकन कर की न तो विभाग द्वारा मांग की गई न ही उसे व्यवसायिक वाहन मालिकों द्वारा चुकाया गया।

(परिच्छेद 2.19)

पंजीयन एवं लाईसेंस प्राधिकरणों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, व्यवसायिक वाहनों के मालिकों ने सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में अपने वाहन पंजीकृत नहीं किए जो ₹ 2.38 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर की अवसूली में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.20)

2016-17 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 1.97 करोड़ राशि का यात्री एवं मालकर न तो 2,472 व्यवसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा चुकाया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई।

(परिच्छेद 2.21)

वन प्राप्तियां

₹ 31.70 करोड़ की वन प्राप्तियों की वसूली इन कारणों से नहीं की गई:

- लकड़ी के दोहन एवं रेजिन ब्लेजों के नि:स्त्रवण पर रॉयल्टी का दावा न करना तथा रॉयल्टी दरों में कटौती,
- रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज संग्रहण में विफलता,
- चीड़ के वृक्षों की विश्वसनीय एवं स्थाई सूची का रखरखाव न करना,
- दोहन के पर्यवेक्षण में कमी तथा विस्तार फीस का उदग्रहण न करना।

(परिच्छेद 2.23)

भाग 'ख'
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में ₹ 437.17 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त 10 परिच्छेद समाविष्ट है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर मुख्य बिन्दु निम्न है:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.1 विद्युत क्षेत्र की कम्पनियां

हिमाचल प्रदेश राज्य में 31 मार्च 2019 तक 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इसमें दो सांविधिक निगम एवं 25 सहकारी कम्पनियां (तीन अकार्यशील कम्पनियों सहित) समाविष्ट हैं। कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने उनकी नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 9,181.99 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 हेतु वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.97 *प्रतिशत* के बराबर थी।

31 मार्च 2019 तक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कुल निवेश ₹ 20,338.66 करोड़ था जिसमें राज्य सरकार का अंशदान ₹ 15,287.60 करोड़ था।

(परिच्छेद 3.1.1 एवं 3.1.6)

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 के दौरान विगत वर्षों हेतु चार लेखें (दो लेखें 2016-17 हेतु एवं दो लेखें 2017-18 हेतु) प्रस्तुत किए थे। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार एक विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नेट वर्थ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। 2018-2019 के दौरान किसी भी विद्युत क्षेत्र के उपक्रम ने लाभ अर्जित नहीं किया था।

(परिच्छेद 4.7, 4.13 एवं 4.14)

विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के अतिरक्त

20 कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 के दौरान 14 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया जिसमें 2018-19 हेतु एक वार्षिक लेखा भी सम्मिलित था। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नेट वर्थ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। लाभ अर्जित करने वाले सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया/चुकाया।

(परिच्छेद 5.8.1, 5.17 एवं 5.18)

3. विद्युत क्षेत्र

अध्याय 4 में ₹ 421.69 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा की गई है तथा विद्युत क्षेत्र में राज्य की सरकारी कम्पनियों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

31 मार्च 2019, तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) के पास 487.45 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता वाली 22 जल विद्युत परियोजनाएं थी। वर्ष 2016-19 के दौरान इन परियोजनाओं से 5,599.49 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-19 की अवधि हेतु सात जल विद्युत परियोजनाओं, तीन वृहद, दो लघु एवं दो अति लघु जल परियोजनाएं सम्मिलित थी, की लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई। ये परियोजनाएं कुल स्थापित क्षमता की 69 *प्रतिशत* थी तथा समस्त जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का 65 से 73 *प्रतिशत* उत्पादन कर रही थी। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया:-

(परिच्छेद 4.26)

- कम्पनी द्वारा संचालन व मरम्मत में परिहार्य चूकों के परिणामस्वरूप संचालन व मरम्मत पर ₹ 265.94 करोड़ खर्च करने के बावजूद ₹ 393.97 करोड़ के बराबर 715.64 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई।

(परिच्छेद 4.26.4)

- चारों परियोजनाओं में संयंत्र उपलब्धता कारक सतत् कम थे (10 व 62 *प्रतिशत* के मध्य), जबकि संयंत्र भार कारक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 60 *प्रतिशत* मानदण्ड से कम था।

(परिच्छेद 4.26.5)

- बार-बार ब्रेकडाउन होने एवं कम उत्पादन (रौंगटौंग व रूकति परियोजना) ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण व बाधा रहित विद्युत प्रदाय से वंचित रखा। गिरी जल विद्युत परियोजना में जलाशय में गाद हटाने के अभाव से भण्डारण क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट हुई तथा इसकी उत्पादन क्षमता बूरी तरह से प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 4.26.6 (iii) एवं 4.26.7(i))

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने विद्युत के अनधिकृत उपयोग हेतु ₹ 3.80 करोड़ के प्रभारों का उदग्रहण नहीं किया।

(परिच्छेद 4.27)

आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन न करने से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने निर्धारित प्रभारों के उदग्रहण हेतु कार्रवाई करने का उसका अधिकार खो दिया, स्वरूप ₹ 3.76 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.28)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 व अगस्त 2014 में जारी टैरिफ आदेशों को लागू नहीं किया, जो ₹ 1.78 करोड़ के अल्प वसूली में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 4.29)

4. विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय 5 में ₹ 15.48 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा की गई है तथा विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में राज्य की सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन की कमियों पर प्रकाश डाला गया है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ से युक्त थी। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् है:

हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड

लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई राशि के दैनिक/मासिक मिलान के लिए तंत्र का अभाव और कंपनी के पास भुगतान जमा किए बिना नकली/छेड़छाड़ युक्त यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) का उपयोग कर के इनके एवज में शराब के स्टॉक (₹ 3.79 करोड़) का उठाव और उधार आधार पर शराब (₹ 5.90 करोड़) की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.31)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सिमित

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने अंशदान की निर्धारित दर से अधिक दर पर कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ का अधिक योगदान हुआ।

(परिच्छेद 5.32)

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम

तेल कंपनियों द्वारा दी जा रही वास्तविक छूट की निगरानी में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 5.36)